भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 174

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

ग्रामीण विकास के लिए आवंटित सीएसआर निधियां

174. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विगत वर्ष के दौरान कारपोरेट निकायों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए आवंटित कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत दो वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों की स्थिति क्या है और समाधान तंत्र की प्रभावकारिता कितनी है;
(ग) पर्यावरणीय रूप से संवहनीय व्यावसायिक पद्धतियों को अपनाने के लिए कंपनियों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार ने लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए विनियामक अनुपालन को सरल बनाने के संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों के आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। सीएसआर के लिए कानूनी ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 135 में 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की निवल संपत्ति, या 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर या 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान

जारी...2/-

कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर के लिए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करने को अधिदेशित किया गया है। प्रत्येक पात्र कंपनी को एक सीएसआर समिति का गठन करना होता है जिसमें तीन या अधिक निदेशक होते हैं। समिति सीएसआर नीति तैयार करेगी और सिफारिश करेगी जो अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्र या विषय में कंपनी द्वारा की जाने वाली कार्यकलापों को इंगित करती है। सीएसआर ढांचे में यह प्रावधान है कि सीएसआर कार्यकलापों को कंपनी द्वारा स्वयं या कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4 (1) में उल्लिखित संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकता है। कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाता है, उन पर निर्णय लेता है, उन्हे निष्पादित करता है और उनकी निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की अनुसूची-VII की मद सं 12(x) में अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण विकास परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है।

कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में की गई फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए ग्रामीण विकास परियोजना में व्यय किया गया सीएसआर व्यय अनुलग्नक- I में दिया गया है।

(ख): पिछले दो वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम के अंतर्गत फाइल किए गए मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	अवधि	न्यायालयों में दर्ज किए गए मामले	निपटाए गए	वापस लिए गए
1.	2022-23	1,946	1,000	108
2.	2023-24	1,452	1,160	6,267
3.	01.04.2024 से 31.10.2024	953	1,056	41

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत उपलब्ध एकमात्र समाधान तंत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 441 के अंतर्गत अपराधों के प्रशमन के माध्यम से है।

प्रशमन किए गए मामलों की संख्या और लगाया गया शुल्क अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग), (घ) और (ङ): सरकार ने पर्यावरणीय रूप से स्थायी व्यवसाय व्यवहार को अपनाने और लघु और मध्यम आकार के उद्यम (एसएमई) कंपनियों और स्टार्टअप के लिए नियामक अनुपालन को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं :-

जारी...3/-

i. कंपनी अधिनियम के तहत तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को गैर-अपराधीकरण करने के लिए 2019 में सीए-13 में संशोधन किए गए।

ii. व्यापार में सुगमता, अपराधों के और आगे गैर-अपराधीकरण और अनुपालन आवश्यकताओं में सुधार करने के लिए, विशेष रूप से लघु कंपनियों, एकल व्यक्ति कंपनियों, स्टार्ट-अप और निर्माता कंपनियों के लिए 2020 में सीए-13 में किए गए संशोधन ।

iii. उद्योग मंडलों और अन्य हितधारकों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों और दिए गए सुझावों का समाधान करने के लिए सीए-13 के तहत निर्धारित विभिन्न नियमों को समय-समय पर अधिसूचित और संशोधित किया गया है।

iv. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विलय के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया को अन्य स्टार्टअप और लघु कंपनियों के साथ स्टार्टअप के विलय को भी शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया, ताकि ऐसी कंपनियों के लिए विलय और समामेलन की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके।

v. एकल व्यक्ति कंपनियों, लघु कंपनियों, स्टार्टअप और निर्माता कंपनियों के लिए कम शास्तियों के लिए नई धारा 446ख।

vi. निर्माता कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 1956 का पूर्व भाग IXक) कंपनी अधिनियम, 2013 में शामिल किया गया।

vii. मंत्रालय ने 05.08.2024 को कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 में संशोधन किया है (16.09.2024 से प्रभावी) यह प्रदान करने के लिए कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 454 के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारियों और प्रादेशिक निदेशकों द्वारा न्यायिक कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में केवल इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा विकसित ई-निर्णय मंच के माध्यम से होगी। इससे ऐसी कार्यवाहियों का अधिनिर्णयन तीव्र और प्रयोक्ता-अनुकूल तरीके से हो सकेगा।

viii. कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 25क में 9 सितंबर 2024 को संशोधन किया गया है (17 सितंबर 2024 से प्रभावी)। इस संशोधन के अनुसरण में, विदेश में निगमित होल्डिंग कंपनी का भारत में निगमित इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ विलय करने के लिए केन्द्रीय सरकार (प्रादेशिक निदेशकों को प्रत्यायोजित) का अनुमोदन अपेक्षित होगा। इस संशोधन से पहले, ऐसे विलय के लिए एनसीएलटी की मंजूरी की आवश्यकता होती थी। इससे यह प्रक्रिया तेज हो जाएगी और एनसीएलटी को अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी।

जारी...4/-

ix. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (40) के अनुसार, एकल व्यक्ति कंपनी और लघु कंपनी को अपने वित्तीय विवरण के हिस्से के रूप में नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने और दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

x. धारा 92(1) के परंतुक के अनुसार, एकल व्यक्ति कंपनी और लघु कंपनी के लिए कंपनी सचिव से हस्ताक्षरित वार्षिक विवरणी प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। जब इस अधिनियम की धारा 173 के तहत बोर्ड की बैठक की बात आती है तो एकल व्यक्ति कंपनी और लघु कंपनी के पास दूसरों की तुलना में कम अनुपालन आवश्यकता होती है।

******

अनुलग्नक- I

दिनांक 25.11.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 174 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2020-21 से 2022-23 तक ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए सीएसआर व्यय			
क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23
ग्रामीण विकास परियोजनाएं (करोड़ रुपए में)	1,850.71	1,833.76	2,005.37

(31.03.2024 तक के आंकड़े) [स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]

अनुलग्नक- II

25.11.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 174 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	कंपाउंडिंग/के लिए फाइल मामले अवधि	स्थिति		लगाया गया कंपाउंडिंग शुल्क
		प्रशमित मामलों की संख्या	लंबित	लंबित
1.	2022-23	999	744	21,87,09,410
2.	2023-24	954	764	22,20,44,825
3.	01.04.2024 तक 31.10.2024	507	513	13,59,65,810

*****